



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128921

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 6154 वर्ष 2026

सुमित तिवारी

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : आशीष कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : बृजेंद्र कुमार राज, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री आशीष कुमार सिंह, प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता श्री बृजेंद्र कुमार राज और राज्य की ओर से एजीए-1 डॉ. एस.बी. मोर्य की बातें सुनीं।
2. यह अपील अपीलकर्ता ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) द्वारा 05.05.2026 को पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की है। इस आदेश के तहत, कोतवाली पुलिस स्टेशन, जिला हमीरपुर के मुकदमा अपराध संख्या 59/2024 (भारतीय दंड संहिता की धारा 308, 323, 504, 506 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1) डा/ढा, 3(2)(वीए) के अंतर्गत) में अपीलकर्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी।
3. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि यह अपील 05.05.2026 के उस आदेश के खिलाफ है, जिसके तहत संबंधित न्यायालय ने अपीलकर्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। उनका

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आगे कहना है कि संबंधित न्यायालय ने अपीलकर्ता की ज़मानत अर्ज़ी गलत तरीके से खारिज की, क्योंकि प्रथम दृष्टया अपीलकर्ता निर्दोष लगता है।

4. उनका आगे कहना है कि हालांकि एफ.आई.आर. में अपीलकर्ता समेत पांच आरोपी हैं, लेकिन सभी आरोपियों की भूमिका के बारे में केवल सामान्य बातें ही बताई गई हैं। वे आगे कहते हैं कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि अपीलकर्ता ने घायल व्यक्ति को चोट पहुंचाई थी।

5. इसके बाद उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता के साथ सह-आरोपी अरुण कुमार तिवारी उर्फ पप्पू पंडित को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन जब संबंधित न्यायालय ने उसकी ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी, तो उसने इस न्यायालय के सामने अपराधिक अपील संख्या 2956/2026 में उस आदेश को चुनौती दी। इस न्यायालय की एक अन्य बेंच ने उसकी अपील मंजूर कर ली और उसे ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया; अपीलकर्ता का मामला भी ठीक वैसा ही है।

6. उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. उन्होंने आगे कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, 13.03.2026 के विवादित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और अपीलकर्ता को ज़मानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

8. इसके विपरीत, विद्वान एजीए और प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता ने इस अनुरोध का विरोध किया, लेकिन अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के आधार पर दी गई दलील को गलत नहीं ठहरा सके।

9. मैंने दोनों पक्षों को सुना है और मामले के रिकॉर्ड को देखा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. हालाँकि, यह आरोप है कि अपीलकर्ता और अन्य लोगों ने हमला किया, जिससे घायल व्यक्ति को चोटें आईं और घायल व्यक्ति अनुसूचित जाति समुदाय से हैं; लेकिन इससे यह पता चलता है कि केवल सामान्य आरोपों के आधार पर अपीलकर्ता को इस मामले में आरोपी बनाया गया है।

11. इसके अलावा, अपीलकर्ता के साथ सह-आरोपी अरुण कुमार तिवारी उर्फ पप्पू पंडित को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन इस न्यायालय ने उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया है और अपीलकर्ता का मामला भी उन्हीं के समान है।

12. साथ ही, अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में 23.04.2026 से जेल में है।

13. इसलिए, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरी राय में, 05.05.2026 का विवादित आदेश गैर-कानूनी है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

14. इसी के अनुसार, संबंधित न्यायालय द्वारा 05.05.2026 को पारित विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। अपीलकर्ता को मुकदमे के दौरान ज़मानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

15. वर्तमान अपील **स्वीकार** की जाती है।

16. अपीलकर्ता **सुमित तिवारी** को उपरोक्त मामले में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो विश्वसनीय ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ ज़मानत पर रिहा किया जाए:

(i) अपीलकर्ता मुकदमे के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।



(ii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iii) अपीलकर्ता निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(iv). अपील करने वाला व्यक्ति ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया हो या जिस अपराध को करने का उस पर संदेह हो।

(v). अपील करने वाला व्यक्ति मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा, ताकि उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

17. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने की अर्जी देने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

24 जून, 2026

एके पांडे